

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आरएएस

प्रकरण सं० : 149/2019

अनवान :

1. सुभाष चन्द्र पुत्र काशीराम जाति ब्राह्मण निवासी भिरानी तहसील भादरा।
2. कुलक्षेत्र पुत्र काशीराम जाति ब्राह्मण निवासी भिरानी तहसील भादरा।

- वादीगण

बनाम

1. काशीराम पुत्र रामरिख उर्फ रामरख जाति ब्राह्मण निवासी भिरानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. चन्द्रभान पुत्र काशीराम जाति ब्राह्मण निवासी भिरानी तहसील भादरा।
3. प्रहलादराय पुत्र काशीराम जाति ब्राह्मण निवासी भिरानी तहसील भादरा।
4. सिलोचना पुत्री काशीराम पत्नी कैलाशचन्द्र जाति ब्राह्मण निवासी भिरानी हाल निवासी शिशववाल तहसील मण्डी आदमपुरा जिला हिसार।
5. संतोष देवी पुत्री काशीराम पत्नी पप्पुराम जाति ब्राह्मण निवासी भिरानी तहसील भादरा हाल निवासी मोहनमगरिया तहसील व जिला हनुमानगढ़।
6. बैंक एस.बी.आई. शाखा डाबड़ी जरिये शाखा प्रबंधक।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरुस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज०काश्त०अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री पुनमचंद वर्मा : वादीगण

वकील श्री अक्षय कुमार वर्मा : प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक : 05.08.2019

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि गांव भिरानी के जमाबंदी सम्वत 2074-77 के खाता संख्या 47/40 के मु.न. 39 के किला नं. 3 ता 9, 12 ता 19 के प्रत्येक किला की 0.253 हैक्टर कुल 3.795 हैक्टर बारानी कृषि भूमि खातेदारी प्रतिवादी सं. 1 काशीराम के नाम दर्ज है और चक नं. 8 जेएसएल की जमाबंदी सम्वत 2071-71 के खाता संख्या 63/63 के मु.न. 108 के किला नं. 11, 12, 19, 20 के प्रत्येक किला की 0.253 हैक्टर बारानी, किला नं. 21, 22 के प्रत्येक किला की 0.228 हैक्टर बारानी और मु.न. 116 के किला नं. 24 व 25 प्रत्येक किला की 0.253 हैक्टर नहरी, मु.न. 147 के किला नं. 1 व 2 के प्रत्येक किला की 0.253 हैक्टर नहरी मय गै.मु.रास्ता प्रत्येक किला में 0.013 हैक्टर, किला नं. 3 ता 5, 8 ता 10 के प्रत्येक किला की 0.253 हैक्टर नहरी कुल 3.998 हैक्टर हैक्टर, नहरी 2.504 हैक्टर, बारानी 1.468 हैक्टर, गै.मु.रास्ता 0.026 हैक्टर कृषि भूमि खातेदारी में से 200 हिस्सा खातेदारी भूमि प्रतिवादी सं.1 काशीराम के नाम दर्ज है। यही बिनाय दावा है। नकल जमाबंदी संलग्न अर्जीदावा है।

वादभूमि हिन्दु खानदान की जददी जायदाद है जो वादीगण के पिता प्रतिवादी सं.1 काशीराम को वादीगण के दादा रामरिख उर्फ रामरख से विरासतन प्राप्त हुई है जो गांव भिरानी की खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 2029-38 के खाता संख्या 201 और चक 8 जेएसएल की जमाबंदी सम्वत 2034-37 के खाता सं. 98 से साफ रोशन है। इस प्रकार

उक्त वाद भूमि में वादीगण का जन्म से हक व हिस्सा है जो वादीगण और प्रतिवादी सं. 1 ता 5 प्रत्येक का उक्त भूमि में 1/7 हक व हिस्सा है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादीगण सं० 1 ता 5 अपना राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। वकील वादीगण ने प्रतिवादी सं. 6 को तर्क किया।

साक्ष्य वादी में वादी सुभाष चन्द्र पुत्र काशीराम जाति ब्राह्मण निवासी भिरानी तहसील भादरा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत भिरानी प्रदर्श 1, जमाबंदी भिरानी सम्वत 2074-77 खाता संख्या 47/40 प्रदर्श 2, जमाबंदी चक 8 जेएसएल सम्वत 2071-74 खाता संख्या 63/63 प्रदर्श 3, जमाबंदी खतौनी बन्दोबस्त भिरानी सम्वत 2029-38 खाता संख्या 201 प्रदर्श 4, खतौनी जमाबंदी चक 8 जेएसएल प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवाये।


बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि दादालाई पुस्तैनी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत वाद वादीगण ने गांव भिरानी के जमाबंदी सम्वत 2074-77 के खाता संख्या 47/40 के मु.न. 39 के किला नं. 3 ता 9, 12 ता 19 के प्रत्येक किला की 0.253 हैक्टर कुल 3.795 हैक्टर बारानी कृषि भूमि खातेदारी प्रतिवादी सं.1 काशीराम के नाम दर्ज है और चक नं. 8 जेएसएल की जमाबंदी सम्वत 2071-71 के खाता संख्या 63/63 के मु.न.108 के किला नं. 11, 12, 19, 20 के प्रत्येक किला की 0.253 हैक्टर बारानी, किला नं. 21, 22 के प्रत्येक किला की 0.228 हैक्टर बारानी और मु.न. 116 के किला नं. 24 व 25 प्रत्येक किला की 0.253 हैक्टर नहरी, मु.न. 147 के किला नं. 1 व 2 के प्रत्येक किला की 0.253 हैक्टर नहरी मय गै.मु.रास्ता प्रत्येक किला में 0.013 हैक्टर, किला नं. 3 ता 5, 8 ता 10 के प्रत्येक किला की 0.253 हैक्टर नहरी कुल 3.998 हैक्टर हैक्टर, नहरी 2.504 हैक्टर, बारानी 1.468 हैक्टर, गै.मु.रास्ता 0.026 हैक्टर कृषि भूमि खातेदारी में से 200 हिस्सा खातेदारी भूमि प्रतिवादी सं.1 काशीराम के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है। वादीगण ने अपने दावा में वाद भूमि दादालाई पुस्तैनी कृषि भूमि होना व वाद भूमि में वादीगण का जन्म से हक हिस्सा होना अंकित किया है जिसकी पुष्टि में वादीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी भिरानी सम्वत 2074-77 खाता संख्या 47/40 प्रदर्श 2, जमाबंदी चक 8 जेएसएल सम्वत 2071-74 खाता संख्या 63/63 प्रदर्श 3, जमाबंदी खतौनी बन्दोबस्त भिरानी सम्वत 2029-38 खाता संख्या 201 प्रदर्श 4, खतौनी जमाबंदी चक 8 जेएसएल प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवाये है। इस प्रकार वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं० 1 ता 5 ने भी राजीनामा के अनुसार वादीगण द्वारा चाहे गये अनुतोष से सहमत है एवं वादी द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित दस्तावेजात के आधार पर वाद वादीगण साबित होना पाया जाता है।

अतः वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा साबित होने पर डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि गांव भिरानी के जमाबंदी सम्वत 2074-77 के खाता संख्या 47/40 के मु.न. 39 के किला नं. 3 ता 9, 12 ता 19 के प्रत्येक किला की 0.

253 हैक्टर कुल 3.795 हैक्टर बारानी कृषि भूमि खातेदारी प्रतिवादी सं.1 काशीराम के नाम दर्ज कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 काशीराम की बजाय वादीगण संख्या 1 व 2 और प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को संयुक्त रूप से 6/7 हिस्सा और प्रतिवादी सं. 1 का 1/7 हिस्सा और चक नं. 8 जेएसएल की जमाबंदी सम्वत 2071-74 के खाता संख्या 63/63 के मु.न. 108 के किला नं. 11, 12, 19, 20 के प्रत्येक किला की 0.253 हैक्टर बारानी, किला नं. 21, 22 के प्रत्येक किला की 0.228 हैक्टर बारानी और मु.न. 116 के किला नं. 24 व 25 प्रत्येक किला की 0.253 हैक्टर नहरी, मु.न. 147 के किला नं. 1 व 2 के प्रत्येक किला की 0.253 हैक्टर नहरी मय गै.मु.रास्ता प्रत्येक किला में 0.013 हैक्टर, किला नं. 3 ता 5, 8 ता 10 के प्रत्येक किला की 0.253 हैक्टर नहरी कुल 3.998 हैक्टर हैक्टर, नहरी 2.504 हैक्टर, बारानी 1.468 हैक्टर, गै.मु.रास्ता 0.026 हैक्टर कृषि भूमि खातेदारी में से 200 हिस्सा खातेदारी भूमि प्रतिवादी सं.1 काशीराम के नाम दर्ज 200 हिस्सा कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 काशीराम की बजाय वादीगण संख्या 1 व 2 और प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को संयुक्त रूप से 6/7 हिस्सा और प्रतिवादी सं. 1 का 1/7 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं० 4 व 5 ने वाद कृषि भूमि में से अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं. 2 व 3 के पक्ष में त्याग कर दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तानुसार वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 05.08.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(सुखाराम पिण्डेल)

R.A.S.

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)

भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठसीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आरएएस

प्रकरण सं० : 149/2019

अगवान :

1. सुभाष चन्द्र पुत्र काशीराम जाति ब्राह्मण निवासी भिरानी तहसील भादरा।
2. कुलक्षेत्र पुत्र काशीराम जाति ब्राह्मण निवासी भिरानी तहसील भादरा।

- वादीगण

बनाम

1. काशीराम पुत्र रामरिख उर्फ रामरख जाति ब्राह्मण निवासी भिरानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. चन्द्रभान पुत्र काशीराम जाति ब्राह्मण निवासी भिरानी तहसील भादरा।
3. प्रहलादराय पुत्र काशीराम जाति ब्राह्मण निवासी भिरानी तहसील भादरा।
4. सिलोचना पुत्री काशीराम पत्नी कैलाशचन्द्र जाति ब्राह्मण निवासी भिरानी हाल निवासी सिशववाल तहसील मण्डी आदमपुरा जिला हिसार।
5. संतोष देवी पुत्री काशीराम पत्नी पप्पुराम जाति ब्राह्मण निवासी भिरानी तहसील भादरा हाल निवासी मोहनमगरिया तहसील व जिला हनुमानगढ़।
6. बैंक एस.बी.आई. शाखा डाबड़ी जरिये शाखा प्रबंधक।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरुस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज०काश्त०अधिनियम 1955

आज यह वाद मुझ सुखाराम पिण्डेल सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री पूनमचंद वर्मा एवं वकील प्रतिवादीगण अक्षय कुमार वर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा साबित होने पर डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि गांव भिरानी के जमाबंदी सम्वत 2074-77 के खाता संख्या 47/40 के मु.न. 39 के किला नं. 3 ता 9, 12 ता 19 के प्रत्येक किला की 0.253 हैक्टर कुल 3.795 हैक्टर बारानी कृषि भूमि खातेदारी प्रतिवादी सं.1 काशीराम के नाम दर्ज कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 काशीराम की बजाय वादीगण संख्या 1 व 2 और प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को संयुक्त रूप से 6/7 हिस्सा और प्रतिवादी सं. 1 का 1/7 हिस्सा और चक नं. 8 जेएसएल की जमाबंदी सम्वत 2071-74 के खाता संख्या 63/63 के मु.न. 108 के किला नं. 11, 12, 19, 20 के प्रत्येक किला की 0.253 हैक्टर बारानी, किला नं. 21, 22 के प्रत्येक किला की 0.228 हैक्टर बारानी और मु.न. 116 के किला नं. 24 व 25 प्रत्येक किला की 0.253 हैक्टर नहरी, मु.न. 147 के किला नं. 1 व 2 के प्रत्येक किला की 0.253 हैक्टर नहरी मय गै.मु.रास्ता प्रत्येक किला में 0.013 हैक्टर, किला नं. 3 ता 5, 8 ता 10 के प्रत्येक किला की 0.253 हैक्टर नहरी कुल 3.998 हैक्टर हैक्टर, नहरी 2.504 हैक्टर, बारानी 1.468 हैक्टर, गै.मु.रास्ता 0.026 हैक्टर कृषि भूमि खातेदारी में से 200 हिस्सा खातेदारी भूमि प्रतिवादी सं.1 काशीराम के नाम दर्ज 200 हिस्सा कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 काशीराम की बजाय वादीगण संख्या 1 व 2 और प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को संयुक्त रूप से 6/7 हिस्सा और प्रतिवादी सं. 1 का 1/7 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं० 4 व 5 ने वाद कृषि भूमि में से अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं. 2 व 3 के पक्ष में त्याग कर दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तानुसार वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 05-08-2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सुखाराम पिण्डेल)

R.A.S.

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)

भादरा, जिला हनुमानगढ़